

**YELLOW BULLETIN OF OPERATING SAFETY
EAST CENTRAL RAILWAY
(December -2022, ISSUE NO. - 54)**

Contains Irregularities/Deficiencies detected during inspections

1.	At Jamui station - Private No. Book is not being used as per the provisions of BWM (Para 6.20-6.22.)
2.	Loco no. 37279/WAP7/BRC was running with overdue schedule in Train no.19436 ASN-ADI Express on 24/25.12.2022.
3.	Railway Act Board was not available at L.C Gate no. 168-C/2-T at Semra (SRA).
4.	All right signal was not exchanged from OFF side due to non availability of Points man at Semra (SRA) Station during inspection. This can be a Safety hazard.
5.	Staff Gradation register was not available at Semra (SRA)/SPJ and Nayagon (NYO)/SEE Station.
6.	Enforcement date of SWR is not mentioned in SWR at Bhadaura (BWH) and Traction Working Rule Diagram Board was not available at Bhadaura (BWH) station.
7.	Full signature of SM was not endorsed on authority T/369(3b) at Bakhtiyarpur (BKP), Buxar (BXR) & Jamui (JMU) stations. It is violation of SR 3.69(2) (iv)
8.	During foot plate inspection of train no. 03362 on dated 17.12.22, it was observed that nomenclature of Distant and IBP signal in served caution order was mismatched and shown KM was also incorrect.
9.	Stretcher & PCP set was not available in Train no. 03362 on dated 17.12.22. Availability of essential equipments must be ensured.
10.	At Rajhura (RHR) station – SM has been made Custodian of RRBUN key but in earlier SWR, it was with S & T. Such changes are without the approval of PCOM & there for needs review.
11.	Train Manager of 12332 Himgiri Express on 17.12.2022 Sri A. K. Singh/DDU was found working the train with Refresher due.
12.	Visibility of signal No- S-32 of KIUL is obstructed and is visible from about 100 mtrs or even less, which is less than the prescribed distance of 200 mtrs.
13.	At MNP, Engine Stop Board for Coaching Train is required to be placed there is huge gap between PF end and Starter Signal.
14.	Train no. 03362 running on 17.12.2022 of Brake Power the load was found not satisfactory as reported by LP. Result stop time taken is more than normal.

SPECIAL ATTENTION TO BE PAID:-

1. Ensure that employee deputed/deployed to work as Gateman has under gone proper training and holds a valid competency certificate. (SR 16.01)
2. Ensure that communication equipment with Gateman and Station Master is in working order and exchange of private number being done and recorded as per stipulation made in SWR.
3. Ensure that as long as the Gate is kept open to road traffic, a red flag by day and red light by night is displayed towards the approaching trains on either side of level crossing.
4. Ensure that the train is stopped clear of the fouling marks (GR&SR 4.56).
5. Ensure that staff are conversant with the rules for protection of train stopped between Stations. (GR&SR 6.03, 6.08 and 9.10).

“Divisions are advised to ensure immediate circulation (in yellow colour printout) to all concerned for initiating action and compliance of the above irregularities/anomalies/Special Attention be sent to this office for onward action.”


16/01/23
(B. K. Das)

COM/G/ECR

Dated-16.01.2023.

No.ECR/OPTG. Safety/Yellow Bulletin/87/505

Copy to:-

1. PCOM & PCSO- for kind information please.
2. DRM- DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ - for kind information please.
3. Sr.DOM -DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ for information & necessary action please.
4. ZRTI MFP & BHULI for information please.

परिचालन-संरक्षा/पूर्वमध्यरेल

येलो बुलेटिन/(दिसम्बर -2022, अंक सं.- 54)

मुख्यालय द्वारा किए गये निरीक्षण के दौरान पाए गए कमियों/अनियमितताओं को समाहित करते हुए.

1	दानापुर मण्डल के जमुई स्टेशन पर निजी अंक पुस्तिका का इस्तेमाल जैसे संबंधित कार्य के लिए नंबर को काटना, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल (पैरा 6.22-6.20) के प्रावधानों के अनुसार नहीं पाया गया।
2	गाड़ी संख्या 19436 का परिचालन ओवर ड्यू लोको नंबर 37279/WAP7/BRC के द्वारा दिनांक 24/25.12.2022 को किया जा रहा था।
3	सेमरा स्टेशन पर समपार फाटक नंबर 168-C/2-T के पास रेलवे एक्ट बोर्ड नहीं लगा पाया गया।
4	संवर्ग में कर्मचारियों की कमी होने के कारण सेमरा स्टेशन पर पोर्टर कार्यरत नहीं था, जिसके कारण रन थू गाड़ियों को ऑल राइट सिग्नल केवल एक तरफ से दिया जा रहा था। यह संरक्षा के लिहाज से उचित नहीं हैं।
5	सेमरा एवं नयागाँव स्टेशनों पर स्टाफरोडिंग रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।
6	भदौरा स्टेशन पर SWR के लागू होने की तिथि अंकित नहीं थी। ट्रैक्शन वर्किंग रूल डायग्राम बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
7	जमुई स्टेशन पर स्टेशन मास्टर्स द्वारा फॉर्म टी 369/(3b) पर पूर्ण हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है, जो एसआर 3.69(2) (iv) के प्रावधानों का उल्लंघन है।
8	दिनांक 17/12/2022 को गाड़ी संख्या 03362 के पायदान निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सतर्कता आदेश में डिस्टेंट सिग्नल एवं आईबीपी क्रम एवं किलोमीटर में असंगति थी।
9	दिनांक 17/12/22 को गाड़ी संख्या 03362 के ब्रेकयान में स्ट्रेचर एवं पीसीपी सेट उपलब्ध नहीं था। आवश्यक संरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
10	रजहरा/धनबाद स्टेशन पर-आरआरबीयू की चाबी स्टेशन मास्टर के पास थी जबकि पूर्व के एस डब्ल्यू आर में यह सिग्नल एवं दूरसंचार के पास होता था। ऐसा परिवर्तन बिना प्र. मु. परि.प्रबंधक की अनुमति के किया गया है और पुनरीक्षण की आवश्यकता है।
11	दिनांक 17.12.2022 को 12332 हिमगिरी एक्सप्रेस के ट्रेन मैनेजर श्री ए.के. सिंह/डीडीयू का रिफ्रेशर कोर्स ड्यू पाया गया।
12	किउल स्टेशन का सिग्नल संख्या-एस-32 की दृश्यता बाधित है जो लगभग 100 मीटर या कम दूरी से दिखाई देती है जो निर्धारित दृश्यता दूरी 200 मीटर से कम है।
13	मननपुर स्टेशन पर, सवारी गाड़ी के लिए इंजन स्टॉप बोर्ड लगाना आवश्यक है, क्योंकि स्टार्टर सिग्नल, प्लेटफॉर्म के अंतिम किनारे से काफी दूर है।
14	दिनांक 17.12.2022 को चल रही गाड़ी सं. 03362 के लोको पायलट ने बताया कि इस गाड़ी का ब्रेक पावर संतोषजनक नहीं है जिससे गाड़ी को रोकने में सामान्य से अधिक समय लगता है।

विशेष रूप से ध्यान दें : 1. सुनिश्चित करें कि गेटमैन में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारी का उचित प्रशिक्षण हुआ है और उसके पास वैद्य सक्षमता प्रमाण पत्र है। (सा.नि. 16.01)


2. सुनिश्चित करें कि स्टेशन मास्टर एवं गेटमैन के बीच संचार काम कर रहा है एवं प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान कर इसका रिकार्ड स्टेशन कार्य नियमावली में वर्णित अनुसार किया जा रहा है।

3. सुनिश्चित करें कि जब तक गेट सड़क यातायात के लिए खुला रखा जाता है तो दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्री में लाल बत्ती गाड़ी आने की दिशा में लेवल क्रॉसिंग गेट के दोनों ओर प्रदर्शित की गई है।

4 सुनिश्चित करें कि गाड़ी उलंघन चिन्ह को साफ कर खड़ी हुई है (सा.नि. एवं सहा. नि. 4.56)।

5. सुनिश्चित करें कि दो स्टेशनों के बीच रुकी हुई गाड़ी के सम्बंध में वर्णित नियम की जानकारी कर्मचारियों को है। (सा. नि. एवं सहा. नि. 6:03. 6:08 एवं 9.10)।

“मंडलों को सलाह दी जाती है की सभी संबंधितों को तत्काल वितरित कर कार्यवाही सुनिश्चित करें और उपरोक्त अनियमितताओं/विसंगतियों /विशेषध्यान के अनुपालन के संबंध में इस कार्यालय को आगे की कार्यवाही हेतु सूचित करें।”


16/01/23
(बी. के. दास)

मुख्यपरिचालनप्रबंधक(सा.)/हाजीपुर

दिनांक 16.01.2023

सं. ई.सी.आर. /परि.सं./ येलोबुलेटिन/ 87 /505,

प्रतिलिपि:-1 प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ।

2. मंडल रेल प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू., सोनपुर एवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ।

3. वरि.मं.परि.प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू. सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।

4.क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर और भूली को सूचनार्थ।